ISSN: 2249-894X IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF) VOLUME - 6 | ISSUE - 11 | AUGUST - 2017

REVIEW OF RESEARCH

मानव अधिकार संरक्षण एवं उपभोक्ता अधिकार संरक्षणः एक अध्ययन

डॉ. अजय सिंह लटवाल
प्रवक्ता, बी.एड. संकाय, पी. जी. कॉलेज, रामनगर, नैनीताल।

सरांश–

मानव अधिकारों के अच्छे संरक्षण के लिए तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुसंगिक मामलों के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का गठन किया गया। सर्वप्रथम उपभोक्ता आन्दोलन का प्रारम्भ अमेरिका के **रल्फ नाडेर** द्वारा किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति **जॉन एफ कैनेडी** द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर पेश विधेयक को अनुमोदित किया गया था। भारत में **24 दिसम्बर 1986** को **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम** बनाया गया, जो **COPRA** के नाम से प्रसिद्ध है। इसी कारण 15 मार्च को अंतर्राष्टीय उपभोक्ता दिवस एवं 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण एक प्रकार का सरकारी नियन्त्रण है जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। यदि उपभोक्ता चौकन्ने हो जाये एवं इस प्रकार के गलत कार्यों के विरूद्ध मिलकर सामना करें तो इस प्रकार के शोषण को कम किया जा सकता है। उपभोक्ताओं के उत्तरदायित्व है कि वह वस्तु के सम्बन्ध में लेन–देन का प्रमाण पत्र सुरक्षित रखें, शिकायत करते समय एवं हानि होने पर उसके पूर्ति का दावा करते समय अनुचित रूप से बड़ा दावा न करें।

उपभोक्ताओं के साथ वस्तुओं या सेवाओं में कमी होने पर वह इन अभिकरणों में वाद दायर कर सकता है।

मुख्य शब्द– उपभोक्ता, मानव, अधिकार, संरक्षण।

प्रस्तावना–

मानव अधिकारों के अच्छे संरक्षण के लिए तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुसंगिक मामलों के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का गठन किया गया। ये सम्पूर्ण भारत में लागू होगा। परन्तु यह कि यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर उसी सीमा तक लागू होगा जहॉ तक उसका संबंध उस राज्य प्रयोज्य संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची–1 या सूची 3 में वर्णित किन्ही प्रविष्टियों से सम्बन्धित मामलों से है। यह 28 सितम्बर, 1993 प्रभाव में आया हुआ समझा जायेगा। बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1886 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान अथवा सेवायें खरीदता है वह **उपभोक्ता** है। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है, जब वे अपनी आवश्यकतानुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं या **उपभोग** करते हैं। परम्परावादी अर्थशास्त्री प्रायः धन उत्पादन एवं वितरण तक सीमित रहे है। उन्होंने उपभोग पर विशेष ध्यान नहीं दिया **मार्शल** ने उनकी इस प्रवृत्ति की ओर इस प्रकार संकेत किया है। ''**कुछ समय पूर्व तक मॉग अथवा उपभोग का विषय बहुत कुछ उपेक्षित रहा है। परन्तु हाल में आर्थिक विवाद में इस विषय को महत्व प्रदान करने के लिए कुछ कारण आपस में मिल गये है।**'' **कीन्स** के अनुसार **जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है, उसी अनुपात में उपभोग में वृद्धि नहीं होती।** **मार्शल** के अनुसार– ''**जनसंख्या तथा उत्पादन के साधनों में (जो उत्पादन बढ़ाते है) यदि समान रूप से वृद्धि होती है तो जनसंख्या में वृद्धि की तुलना में उत्पादन में अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है।**''

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

प्रस्तावना के अनुसार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रयोजन निम्नलिखित है –

'' उपभोक्ताओं के हितों के श्रेष्ठतर संरक्षण के लिए और उस प्रयोजन हेतु उपभोक्ता परिषदों की उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु अन्य प्राधिकारियों की स्थापना करने के लिए उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए '' उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति दो प्रकार से उपभोक्ता हो सकता है। **(i)** माल का **(ii)** सेवाओं का । यदि खरीदे गए माल में कोई कमी होती है या जब कोई व्यक्ति सेवाएं भाड़े पर लेता है और दी गई सेवा में कोई कमी होती है, तो उपभोक्ता **उपभोक्ता फोरमों में** वाद दायर कर सकता है।

उपभोक्ता विवाद प्रतितोश अभिकरण

जिला फोरम– **धारा 6** में उपभोक्ताओं को सुरक्षा, जानने, आश्वासित होने, प्रतिनिधित्व, सुनवाई, उपभोक्ता शिक्षा, आवाज उठाने के अधिकार प्रदान किये गए हैं। **धारा 10** के अनुसार प्रत्येक जिला फोरम में तीन व्यक्ति होंगे जिसमें एक अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्य होंगे। इन दो से एक सदस्य महिला होनी चाहिए। जिला फोरम का प्रत्येक सदस्य 5 साल की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक, उनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो, पद धारण करेगा। वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। **धारा–11** के अन्तर्गत किसी जिला फोरम को ऐसे परिवादों को ग्रहण करने की अधिकारिता होगी **(i)** जहॉ माल का मूल्य अथवा प्रतिकर की राशि 5 लाख रूपये से अधिक न हो **(ii)** जहॉ विरोधी पक्षकार का निवास स्थान हो अथवा **(iii)** जहॉ विरोधी पक्षकार के कारबार या कार्यालय की शाखा स्थित हो अथवा **(iv)** जहॉ वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः पैदा होता है। **धारा 13** के अन्तर्गत परिवाद के प्राप्त होने पर जिला फोरम परिवाद की एक प्रति परिवाद में वर्णित विरोधी पक्षकार को भेजेगा तथा यह निर्देश देगा कि वह 30 दिन के अन्दर मामले के बारे में अपना कथन दे। जिला फोरम इस अवधि को 15 दिन तक और बढ़ा सकता है। यदि विरोधी पक्षकार परिवाद में दिए गए अभिकथनों से इन्कार करता है या उनका प्रतिवाद करता है, या वह ऊपर दी गई समय सीमा के भीतर उत्तर देने में असफल रहता है तो जिला फोरम उस विवाद के निपटारे की कार्यवाही कर सकता है। **बलवीर सिंह** बनाम **सर गंगाराम हॉस्पिटल** के वाद में राष्ट्रीय आयोग ने निर्णय दिया कि विरोधी पक्षकार की मृत्यु होने से वाद हेतुक का अन्त हो जाता है और यदि परिवाद विरोधी पक्षकार के विरूद्ध लंबित है तो उसकी समाप्ति हो जाती है। **धारा 14** के अन्तर्गत जिला फोरम परिवाद में वर्णित माल में खराबी या सेवा में कमी के विषय में क्षतिपूर्ति के निर्देश दे सकता है। यदि परिवाद को बिना कारण बताए खारिज कर दिया गया है तो ऐसा आदेश मनमाना माना जाएगा तथा उसे रद्द किया जा सकता है। जिला फोरम की प्रक्रिया का संचालन अध्यक्ष कम से कम एक सदस्य के साथ बैठकर करेगा। **धारा 15** के अन्तर्गत जिला फोरम के आदेश के खिलाफ, आदेश से असंतुष्ट पक्षकार आदेश प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर राज्य आयोग के समक्ष अपील कर सकता है। यदि अपीलार्थी यह प्रदर्शित करने में सफल हो जाता है कि विलम्ब से अपील करने का उचित कारण है तो उसे क्षमा किया जा सकता है। यदि विरोधी पक्षकार हाजिर होने में तथा विरोध करने में असफल होता है तो जिला फोरम एकपक्षीय आदेश पारित कर सकता है। जिला फोरम चाहे तो वह अपने एकपक्षीय आदेश को अपास्ट भी कर सकता है। यदि सुनवाई के दिन परिवादी हाजिर होने में असफल रहता है तो जिला फोरम परिवाद को व्यतिक्रम के कारण खारिज कर सकता है। परिवाद के इस प्रकार से खारिज करने को भी रद्द किया जा सकता है तथा परिवाद को पुनः जीवित किया जा सकता है।

राज्य आयोग– **धारा 16** के अनुसार राज्य आयोग में एक अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्य होंगे। इनमें से एक सदस्य महिला होगी। प्रत्येक सदस्य 5 वर्ष तक या 67 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद धारण करेगा। वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। **धारा 17** के अनुसार **राज्य आयोग** ऐसे परिवादों को ग्रहण करेगा **(i)** जहॉ माल या सेवाओं का मूल्य और दावा प्रतिकर यदि कोई है, 5 लाख रूपये से अधिक है परन्तु 20 लाख रूपये से अधिक नहीं है। और **(ii)** उस राज्य के भीतर किसी जिला फोरम के आदेशों के विरूद्ध अपील ग्रहण करेगा। **(iii)** जहॉ राज्य आयोग को यह प्रतीत हो कि किसी जिला फोरम ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि विरूद्ध है, या जो उसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, उसने अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से तात्विक अनियमितता से किया है। **धारा 18** के अनुसार राज्य आयोग द्वारा विवादों के निपटारों के लिए वही प्रक्रिया लागू होगी, कुछ ऐसे परिवर्तनों सहित जो आवश्यक हो, जो कि जिला फोरम द्वारा विवादों के निपटारे में लागू होती है। **धारा 19** के अनुसार राज्य आयोग के किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति उक्त आदेश के विरूद्ध राष्ट्रीय आयोग में अपील आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर कर सकता है। पर्याप्त कारण होने पर राष्ट्रीय आयोग 30 दिन के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है।

राष्ट्रीय आयोग– **धारा 20** के अन्तर्गत राष्ट्रीय आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होंगे। इनमें से एक सदस्य महिला होगी। प्रत्येक सदस्य पॉच वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पहले हो, पद धारण करेगा, और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। **धारा 21** के अन्तर्गत राष्ट्रीय आयोग ऐसे वादों को ग्रहण कर सकेगा **(i)** जहॉ माल या सेवाओं का मूल्य अथवा दावा प्रतिकर, यदि कोई हो, 20 लाख रूपये से अधिक है **(ii)** वह किसी राज्य आयोग के विरूद्ध अपीन सुन सकेगा और **(iii)** जहॉ राष्ट्रीय आयोग को यह प्रतीत होता है कि राज्य आयोग ने ऐसी किसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या जो इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है या उसने अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से किया है। **धारा 22** के अन्तर्गत राष्ट्रीय आयोग अपने समक्ष विवाद निपटाने के लिए धारा 13 के अन्तर्गत दी गई सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। वह धारा 14 के अन्तर्गत जिला फोरम को प्रदान शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। वह ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निहित की जाएं। राष्ट्रीय आयोग के किसी आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी। **धारा 24** के अन्तर्गत जहॉ जिला

फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के आदेशों के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जाती है, तो वे अन्तिम होंगे। **धारा 24A** के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 1993 में संशोधन के पश्चात अर्थात दिनांक 18–6–1993 से, वाद हेतुक उत्पन्न होने के 2 वर्ष की अवधि में परिवाद दायर किया जा सकता है। यहॉ पर भारतीय परिसीमन अधिनियम, 1963 की व्यवस्थाऍं लागू नहीं होती। **धारा 26** के अन्तर्गत जहॉ जिला फोरम राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष संस्थित परिवाद के बारे में यह पाया जाता है कि वह व्यर्थ या परेशान करने वाली है और यथास्थित लिखित आदेश द्वारा कारण बताते हुए वह जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग परिवाद को रद्द कर सकेगा, तथा यह भी आदेश देगा कि परिवादी विरोधी पक्षकारों को आदेश में निर्दिष्ट ऐसा व्यय जो 10,000 रूपये से अधिक न हो, देगा। **धारा 27** के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसके विरूद्ध परिवाद की गई है अथवा परिवाद असफल हो जाता है, वह जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, यथास्थित के आदेश का पालन करने को बाध्य है। यदि कोई व्यापारी या व्यक्ति आदेशों का पालन करने में असमर्थ रहता है तो वह निम्न प्रकार से दण्डनीय होगा– **(i)** उसे एक महीने की न्यूनतम एवं 3 वर्ष की अधिकतम कारावास **(ii)** कम से कम 2,000 रूपये तथा अधिकतम 10,000 रूपये का जुर्माना तथा **(iii)** उपर्युक्त दोनों भी हो सकेंगें।

उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001 के मुख्य प्रावधान

महत्वपूर्ण परिवर्तन

उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में किए गए परिवर्तन इस प्रकार हैं। **धारा 2(b)** में **खण्ड (iv)** जोड़ दिया गया है जिसके अनुसार किसी उपभोक्ता की मृत्यु होने पर उसके वारिस अथवा विधिक प्रतिनिधि परिवाद दायर कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण, संशोधन अधिनियम 2002 से पूर्व केवल किसी व्यापारी के विरूद्ध ही 'नाजायज व्यापार आचार' के लिए परिवाद दायर किया जा सकता था। 2002 के संशोधन द्वारा **धारा 2(c)** के **खण्ड(i)** में संशोधन किया गया है। अब किसी 'किसी सेवा उपलब्ध कराने वाले' व्यक्ति के विरूद्ध भी 'नाजायज व्यापार आचार' अथवा 'अवरोधक व्यापारिक व्यवहार' के लिए परिवाद दायर किया जा सकता है। 'सेवा' शब्द की परिभाषा की परिधि में विस्तार **धारा 2(0)** के अनुसार 2001 के उपभोक्ता संरक्षण, संशोधन अधिनियम के पूर्व 'सेवा' शब्द में कुछ विनिर्दिष्ट श्रेणी में आने वाली सेवाओं से सम्बन्धित सुविधाओं जैसे बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा आदि को सम्मिलित किया गया था। संशोधन पश्चात् सेवा की परिभाषा में न केवल विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित सुविधायें सेवा शब्द में सम्मिलित मानी जाएगी परन्तु यह स्पष्ट किया गया है कि सेवा की परिभाषा विनिर्दिष्ट सेवाओं में सम्बन्धित सुविधाओं के वर्ग तक ही सीमित नहीं रहेंगी।

धारा 2(oo) के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के पूर्व नकली तथा जाली माल एवं सेवाओं के विषय में मुख्य अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था। अब ऐसे माल और सेवाओं को निम्न रूप से परिभाषित कर दिया गया है और उनके विषय में भी परिवाद दायर किया जा सकता है। वह परिभाषा एक नए प्रावधान धारा उपधारा **2(oo)** में दी गई है जो निम्न प्रकार से है। ''नकली अथवा जाली माल तथा सेवाओं'' का अर्थ ऐसे माल और सेवाएं है जो कि असली समझी गई हों किन्तु वास्तव में वैसी न हों।

2002 के संशोधन के पूर्व केन्द्रीय सरकार चाहे तो केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिवाद का गठन कर सकती थी। **धारा 4** में अब यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन 'अवश्य' करें।

2002 के संशोधन के पूर्व राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह चाहे तो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन करे। अब **धारा 7** में अब यह प्रावधान है कि राज्य सरकार के लिए 'राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् को गठन 'अवश्य' करे। 2002 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के पूर्व जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के विषय में कोई प्रावधान नहीं था। अब मुख्य अधिनियम में नई **धारा 8A** जोड़ दी गई है जिसके अनुसार यह आवश्यक हो गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की, अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में बताई तिथि से स्थापना करें। नई **धारा 8B** के अनुसार प्रत्येक जिला परिषद् के उद्देश्य उक्त जिले में उपभोक्ताओं के **धारा 6** में बताए गए अधिकारों को बढ़ावा देना, संरक्षण करना होगा। **धारा 10, 16** तथा **20** जो कि क्रमशः जिला फोरम, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की योग्यताओं को निर्धारित करते है, में कुछ बदलाव किया गया है। प्रत्येक धारा में उन दो सदस्यों की निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक बताया गया है। वह योग्यताएं इस प्रकार है– **(i)** प्रत्येक सदस्य 35 वर्ष से कम आयु का न हो, **(ii)** उसने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक स्तर डिग्री प्राप्त की हो, **(iii)** इस क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। धारा 10, 16 तथा 20 में एक परन्तु जोड़ दिया गया है, जिसके अनुसार अध्यक्ष के अतिरिक्त जो भी क्रमशः जिला फोरम, राज्य अथवा राष्ट्रीय आयोग के सदस्य नियुक्त होने योग्य नहीं होगा, **(i)** जिसे अपराधी **(ii)** दीवालिया **(iii)** विकृत चित्त का घोषित किया गया हो तथा **(iv)** जिसे सरकारी सेवा से हटाया गया, इत्यादि हो। **धारा 12** के प्रावधानों में 2002 के संशोधन द्वारा अब कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत सादे कागज पर की जा सकती है। शिकायत में शिकायतकर्ताओं तथा विपरीत पार्टी के नाम का विवरण, पता, शिकायत, से संबंधित तथ्य एवं अन्य सभी विवरण, शिकायत में उल्लिखित आरोपों के समर्थन में दस्तावेज साथ ही प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती। **संशोधित धारा 13** के अनुसार वाद परिवाद के कार्यवाही के लिए स्वीकृत होने पर सुनवाई की स्वीकृति 21 दिन के अन्दर जिला फोरम को चाहिए कि परिवाद की प्रति, परिवाद में वर्णित विरोधी पक्षकार को भेजे तथा उसे निर्देश दे कि वह 30 दिन अथवा ऐसे बढ़ाए गए समय, जो कि 15 दिन से अधिक नहीं होगा, उस परिवाद के विषय में अपना वर्णन दे। यदि विरोधी पक्षकार अपने पक्ष

को पेश करने में चूक जाता हैं तो संशोधित **धारा 13** में स्पष्ट प्रावधान है कि जिला फोरम एकपक्षीय आदेश दे सकता है। **धारा 13** की नई **उपधारा (3A)** में संशोधन पश्चात् निर्णय विरोधी पक्षकार के नोटिस पाने के तीन महीने के अन्दर कर दिया जाए। किन्तु यदि पदार्थ के विश्लेषण अथवा परीक्षण की आवश्यकता हो तो निर्णय 5 महीने में कर दिया जाए। साधारणतयः किसी स्थगन की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी, किन्तु केवल पर्याप्त कारण बताने पर स्थगन की अनुमति दी जाएगी। **धारा 13** की नई **उपधारा (3B)** जिला फोरम को समर्थ करता है कि वह तथ्यों तथा परिस्थितियों के अनुसार न्यायसंगत तथा उचित अंतरिम आदेश पारित करे। **धारा 13** में जोड़ी गयी नई **उपधारा (7)** के अनुसार किसी परिवादी, जो कि उपभोक्ता है, अथवा विरोधी पक्षकार, की मृत्यु की स्थिति में, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार, इसके विधिक प्रतिनिधि उनका स्थान ग्रहण कर लेंगे।

2002 के संशोधन अधिनियम के अनुसार जिला फोरम तथा आयोग

	संशोधन से पूर्व, अधिकतम सीमा	संशोधन के पश्चात् अधिकतम सीमा
जिला फोरम, धारा 11	5 लाख रूपये तक	20 लाख रूपये तक
राज्य आयोग, धारा 17	20 लाख रूपये तक	1 करोड़ रूपये तक
राष्ट्रीय आयोग, धारा 21	20 लाख रूपये से अधिक	1 करोड़ रूपये से अधिक

2002 के संशोधन के पूर्व अपील करने के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि पारित की गई राशि का कुछ भाग पहले जमा कर दिया जाए। अब प्रत्येक **धारा 15, 19** तथा **23** में एक परन्तुक जोड़ दिया गया है जिसके अनुसार अपीलार्थी के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह डिग्री की विनिर्दिष्ट रकम जमा कराएं। परन्तुकों में दिए गए प्रावधान निम्न प्रकार से है–

अपील का प्रकार	जमा कराए जाने वाली रकम	प्रावधान
जिला फोरम के आदेश के विरूद्ध राज्य आयोग को अपील	डिक्री की रकम का 50% भाग अथवा 25,000 रूपये, जो भी कम हो।	धारा 15 का परन्तुक
राज्य आयोग के आदेश के विरूद्ध राष्ट्रीय आयोग को अपील	डिक्री की रकम का 50% भाग अथवा 35,000 रूपये, जो भी कम हो।	धारा 19 का परन्तुक
राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरूद्ध अच्चतम न्यायालय में अपील	डिक्री की रकम का 50% भाग अथवा 50,000 रूपये, जो भी कम हो।	धारा 23 का परन्तुक

2002 के संशोधन के **पूर्व धारा 27** के अन्तर्गत, उपभोक्ता न्यायालयों के आदेश की अवमानना के लिए लगाए गये दण्ड के आदेश के विरूद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं था। अब **धारा 27A** द्वारा **धारा 27** के अन्तर्गत दिए गए आदेश के विरूद्ध निम्नलिखित प्रकार से अपील की जा सकती है– **(i)** जिला फोरम के आदेश के विरूद्ध राज्य आयोग में अपील की जा सकती है **(ii)** राज्य आयोग के आदेश के विरूद्ध राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है। तथा **(iii)** राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। 2002 के संशोधन से धारा 17 **A** के अनुसार यदि यह न्याय हित में पाया जाता है तो राज्य आयोग किसी परिवादी के आवेदन पर अथवा स्वप्रेरणा से किसी भी अवस्था में किसी जिला फोरम में लंबित परिवाद को उसी राज्य के किसी अन्य जिला फोरम को अंतरित कर दे। **धारा 22B** के अनुसार, परिवादी के आवेदन पर अथवा स्वप्रेरणा से, कार्यवाही की किसी भी अवस्था में, न्याय के हित में, किसी राज्य में एक जिला फोरम में लंबित वाद को किसी अन्य आयोग को, अंतरित कर दे। धारा 17**B** के अनुसार साधारणतया राज्य आयोग राज्य की राजधानी में स्थित होगा। ऐसे अन्य स्थान पर भी कार्य कर सकता है जिसका राज्य सरकार, राज्य आयोग के परामर्श से समय–समय पर सरकारी राजपत्र में उल्लेख करे। **धारा 22C** के अनुसार राष्ट्रीय आयोग अपना कार्य साधारणतयः नई दिल्ली में करेगी, तथा अन्य ऐसे स्थान पर भी कार्य कर सकेगा जिसका, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय आयोग के परामर्श से समय–समय पर, सरकारी राजपत्र में उल्लेख करे। 2002 के संशोधन के पूर्व अपील की सुनवाई के समय सीमा के विषय में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था। अब अधिनियम में **धारा 19A** के रूप में नया प्रावधान कर दिया गया है जिसके द्वारा अपील में समय सीमा का उल्लेख किया गया है जिसके द्वारा मुख्य प्रावधान इस प्रकार से है– **(i)** राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग में दायर की गई अपील की स्वीकृत होने के 90 दिन के अन्दर निपटारा कर दिया जाएगा। **(ii)** साधारणतया राज्य अथवा राष्ट्रीय आयोग द्वारा स्थगन की अनुमति पर्याप्त कारण बताने पर दी जा सकेगी तथा ऐसी स्थिति कारणों को लेखबद्ध करना पड़ेगा। **(iii)** राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग, जैसी भी दशा हो, स्थगन के विषय में अधिनियम के अन्तर्गत विनियमों द्वारा उपबंधित, खर्च के विषय में आदेश देगी। यदि अपील निपटारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात् होता है तो राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग, जैसी भी दशा हो, अपील के निपटारे

के समय, उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा। नए प्रावधान **धारा 28A** के अनुसार यदि परिवादी को नोटिस ऐसे पते पर भेजा गया हो जहॉ विरोधी पक्षकार अपना व्यापार, या निवास करता है तो नोटिस पर्याप्त रूप से तामील किया गया माना जाएगा ।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993

मानव अधिकारों के अच्छे संरक्षण के लिए तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुसंगिक मामलों के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग एवं मानव अधिकार न्यायालयों के गठन हेतु प्रावधान करने के लिए अधिनियम। भारत गणतन्त्र राज्य के चवॉलीसवें वर्ष में संसद निम्न प्रकार अधिनियम किया गया–

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

आयोग में निम्न होंगें–

(क) अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है। **(ख)** एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का सदस्य है, या सदस्य रहा है। **(ग)** एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, या मुख्य न्यायाधीश रहा है। **(घ)** दो सदस्य, जिनकी नियुक्ति उस व्यक्ति में से की जाएगी जिन्हें मानव अधिकारों से सम्बन्धित मामलों का ज्ञान हो, या उसमें व्यावहारिक अनुभव हो। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग एवं महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्षों को **धारा 12** के **खण्डों ख** से **ब** में विनिर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझा जायेगा। एक महासचिव होगा जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा तथा वह आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा जो उसे प्रत्यायोजित करेगा। आयोग का मुख्य कार्यालय **दिल्ली** में होगा तथा आयोग भारत सरकार की पूर्व अनुमति से, भारत में अन्य स्थानों में कार्यालय स्थापित करेगा।

अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति– अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति किया जायेगा। परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति समिति की, जिसमें निम्न होंगे, सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जायेगी– प्रधानमन्त्री, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत सरकार में गृह मंत्रालय का मंत्री प्रभारी, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता एवं राज्य सभा का उपसभापति। परन्तु यह और कि उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का आसीन मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के अलावा नियुक्त नहीं किया जायेगा। अध्यक्ष या सदस्य की कोई नियुक्ति केवल समिति में कोई रिक्त होने के कारण अमान्य नहीं होगी।

आयोग के सदस्य का हटाया जाना– उपधारा 2 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य को उसके पद से, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, उनके उच्चतम न्यायालय को निर्देश दिए जाने पर, उच्चतम न्यायालय के द्वारा उस सम्बध में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जॉच पर यह रिपोर्ट देने के बाद कि अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्य, यथास्थिति, को किसी ऐसे सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जाना चाहिए, हटाया जायेगा। **उपधारा 1** में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा देगा, यदि अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्य, यथास्थिति– **(क)** दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है; या **(ख)** अपने कार्यालय पदावधि में कार्यालय कर्तव्यों के बाहर किसी वैतनिक रोजगार में लगता है; या **(ग)** मस्तिष्क या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है; या **(घ)** विकृत चित्त का है एवं सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया गया है; या **(ड़)** किसी अपराध के लिए जो राष्ट्रपति की राय में नैतिक पतन वाला है, सिद्ध दोष हो गया है एवं उसे कारागार की सजा दी गयी है।

सदस्यों की पदावधि– अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति उस दिनांक से जिसको वह अपने पद पर प्रवेश करेगा, पॉच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु का नहीं होगा, इनमें जो भी पूर्व में हो, पद को धारित करेगा। सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति उस दिनांक से जिसको वह अपने पद पर प्रवेश करेगा, पॉच वर्ष की अवधि के लिए पद को धारित करेगा तथा पॉच वर्षो की दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगाः परन्तु यह कि कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद को धारण नहीं करेगा। पद पर नहीं रहने पर, अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन आगे और नियुक्ति के लिए अपात्र होगा।

कुछ परिस्थियों में सदस्य द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कार्यो का निर्वहन करना– अध्यक्ष की मृत्यु होने, त्यागपत्र देने के कारण या अन्यथा प्रकार से उसका पद रिक्त होने की दशा में, राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए, उस रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक के लिए, प्राधिकृत करेगा। जब अध्यक्ष अवकाश पर अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने कार्यों का निवर्हन करने में असमर्थ हो, उन सदस्यों में से ऐसा एक जिसे राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, इस सम्बन्ध में प्राधिकृत करे, अध्यक्ष के कार्यों का निवर्हन उस दिनॉक तक करेगा, जिसको कि अध्यक्ष अपने कर्तव्यों का पुनर्ग्रहण करेगा।

सदस्यों की सेवा की शर्ते– सदस्यों को सदेय वेतन एवं भत्तें, एवं उनकी सेवा की अन्य शर्ते व निबन्धन, वे होगी जो विहित की जायेगी। परन्तु यह कि किसी सदस्य के न तो वेतन या भत्ते और न सेवा की शर्तें एवं निबन्धन उसकी नियुक्ति के बाद उसके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तित नहीं की जाएगी।

रिक्ति से आयोग की कार्यवाई अविधिमान्य नहीं होगी– आयोग के गठन में किसी पद रिक्ति की विद्यमानता या उसमें किसी त्रुटि होने के आधार पर, आयोग किसी कृत्य या कार्यवाही को प्रश्नगत या अविधिमान्य नहीं किया जायेगा।

प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनिमय किया जाना– आयोग ऐसे समय एवं स्थान पर बैठक करेगा जिसे अध्यक्ष उचित समझेगा। आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगा। आयोग के समस्त आदेश एवं विनिश्चिय महासचिव या इस सम्बन्ध में

अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिकृत आयोंग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जायेंगे।

आयोग के अधिकारी एवं अन्य अधिकारी– भारत सरकार आयोग के लिए निम्न को उपलब्ध करायेगी– **(क)** भारत सरकार के सचिव के रेंक का एक अधिकारी जो आयोग का महासचिव होगा, एवं **(ख)** एक ऐसे अधिकारी के अधीन, जो महानिदेशक, पुलिस के रेंक से नीचे का नहीं होगा, ऐसी पुलिस एवं अन्वेषणकर्ता कर्मचारी एवं ऐसे अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी जो, आयोग के कार्यों का कुशलतापूर्वक निष्पादित के लिए आवश्यक हो। ऐसे नियमों के अधीन जो इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा बनाए जायेंगे, आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकि एवं वैज्ञानिक स्टॉफ नियुक्त करेगा जिसे वह आवश्यक समझेगा। **उपधारा 2** के अधीन नियुक्त अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तें एवं उनकी सेवा की शर्तें वे होंगी जो निर्धारित की जायेगी।

आयोग के कृत्य– आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात– **(क)** स्वप्रेंरणा से या किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे प्रस्तुत याचिका पर,– **(1)** मानव अधिकारों के उल्लंघन या उसके अपशमन की; या **(2)** किसी लोक सेवक द्वारा उस उल्लंघन को रोकने में उपेक्षा; की शिकायत की जॉच करेगा, **(ख)** किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित मानव अधिकारों के उल्लंघन के किसी अभिकथन वाली किसी कार्यवाई में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करेगा; **(ग)** राज्य सरकार को सूचना देने के अध्यधीन, राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहॉ पर उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों को निरूद्ध किया जाता हैं या रखा जाता हैं निवास करने वालों की जीवन की दशाओं का अध्ययन करने एवं उस पर सिफारिशें करने के लिए निरीक्षण करेगा, **(घ)** मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा या उसके अधीन प्राविधिक सुरक्षाओं का पुनर्विलोकन करेगा तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिसें करेगा; **(च)** मानव अधिकारों पर सन्धियों एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय लेखों का अध्ययन करेगा तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेगा; **(छ)** मानव अधिकारों ने क्षेत्र में अनुसंधान एवं उसे प्रोन्नत करेगा; **(ज)** समाज के विभिन्न खण्डों में मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करेगा तथा प्रकाशको, साधनों जैसे मीडिया, सेमिनारों एवं अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन जागरूकता को विकसित करेगा; **(झ)** मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर–सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देगा; **(ञ)** ऐसे अन्य कृत्य करेगा जिन्हें वह मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझेगा।

जॉच से संबधित शक्तियॉ–(1) आयोग, इस अधिनियम के अधीन शिकायतों की जॉच करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत वाद का तथा विशेष रूप से भिन्न मामलों के संम्बन्ध में, विचारण करते हुए सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियॉ रखेगा, अर्थात– **(क)** साक्षियों को बुलाना तथा उनकी उपस्थिति प्रवर्तित करना एवं शपथ पर उनकी परीक्षा करना; **(ख)** किसी भी दस्तावेज को खोजना एवं प्रस्तुत करना; **(ग)** हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना (घ) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति के लिए अधियाचना करना, (ड) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; **(च)** अन्य कोई मामला जो विहित किया जायेगा। **(2)** आयोग को किसी व्यक्ति से, किसी विशषाधिकार के अध्यधीन रहते हुए जिसे उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अन्तर्गत क्लेम किया जायेगा, ऐसे बिन्दुओं या मामलों पर, जो आयोग की राय में जांच के विषय के लिए उपयोगी होंगे, या उससे सुसंगत होंगे, सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहने की शक्ति प्राप्त होगी तथा इस प्रकार से अपेक्षा किए गये व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 176** एवं **धारा 177** के अर्थान्तर्गत ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य हुआ समझा जाएगा। **(3)** आयोग या कोई अन्य अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी के नीचे के रेंक का नहीं होगा, एवं आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है, किसी ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश करेगा जहॉ पर आयोग कारणों से यह विश्वास करता है कि जांच के विषय से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पाया जा सकेगा, तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के, जहां तक वह प्रयोज्य है, उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे दस्तावेज को अधिगृहीत कर सकेगा या उससे अद्धरण या प्रतिलिपियां ले सकेगा। **(4)** आयोग को सिविल न्यायालय होने के रूप में समझा जायेगा एवं जब कोई अपराध जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित है, आयोग के मत में या उसकी उपस्तिति में किया जाता है, तो अपराध का गठन करने वाले तथ्यों को तथा दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 में यथा उपबन्धित अभियुक्त के बयानों को लेखबद्ध करने के बाद, उस मामले को, उस पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा तथा मजिस्ट्रेट, जिसे वह मामला अग्रेषित किया जाएगा, उस अभियुक्त के विरूद्ध शिकायत को सुनने की कार्यवाई उसी तरह करेगा जैसे मानो वह मामला उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 346 के अन्तर्गत अग्रेषित किया गया हैं। **(5)** आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाई को धारा 193 व 228 के अर्थान्तर्गत तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 196 के प्रयोजनार्थ, न्यायिक कार्यवाई के रूप में समझा जायेगा तथा आयोग को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा एवं अध्याय xxvi के समस्त प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय होना समझा जायेगा।

अनुसंधान– **(1)** आयोग, जांच से सम्बन्धित कोई अन्वेषण कराने के प्रयोजन के लिए, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण एजेन्सी की सेवाओं का उपयोग भारत सरकार या राज्य सरकार, यथास्थिति, की सहमति से करेगा। **(2)** जांच से सम्बन्धित किसी मामले में अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, कोई भी अधिकारी या एजेन्सी, जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा 1 के अधीन किया गया है, आयोग के निर्देश एवं नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए,– **(क)** किसी व्यक्ति को समन कर सकेगी तथा उसकी उपस्थिति को प्रवर्तित कर सकेगी एवं उसकी परीक्षा कर सकेगी; **(ख)** किसी दस्तावेज की खोज करने एवं प्रस्तुत करने की उपेक्षा कर सकेगी; **(ग)** किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति के लिए अधियाचना कर सकेगी। **(3) धारा 15** के उपलब्ध किसी अधिकारी या एजेन्सी के, जिसकी सेवाओं का **उपधारा 1** के अधीन उपयोग किया गया है, समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिये गए किसी बयान के सम्बन्ध में उसी तरह लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए किन्हीं बयानों के सम्बन्ध में लागू होते है। **(4)** अधिकारी या एजेन्सी जिसकी सेवाओं का

उपयोग **उपधारा 1** के अधीन किया गया है, जांच से सम्बन्धित किसी मामले में अन्वेषण करेगा तथा उस पर प्रतिवेदन आयोग को ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा विहित की जायेगी। **(5)** आयोग अभिकथित तथ्यों एवं **उपधारा 4** के अधीन उसे प्रस्तुत किए गये प्रतिवेदन में निकाले गये परिणामों, यदि कोई हों, की सत्यता के बारे में अपना समाधान करेगा तथा इस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी जांच जिसमें उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की परीक्षा भी शामिल है जिन्होंने अन्वेषण किया या उसमें सहायता की, करेगा जो वह उचित समझेगा।

आयोग को व्यक्तियों द्वारा किया गया अभिकथन– आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के दौरान व्यक्ति द्वारा किया गया कोई अभिकथन, उस अभिकथन द्वारा झूंठी साक्ष्य देने के लिए अभियोग चलाने के अध्यधीन नहीं होगा या उसके विरूद्ध उपयोग में नहीं लिए जाएगा। परन्तु यह कि वह अभिकथन– **(क)** उस प्रश्न के उत्तर में किया गया हो जिसका उत्तर देने के लिए आयोग द्वारा उससे अपेक्षा की गई हो; या **(ख)** जॉच के विषय से सुसंगत हो।

प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना पर व्यक्तियों की सुनवाई – यदि किसी जाँच के किसी स्तर पर, आयोग–
(क) किसी व्यक्ति के आचरण के बारे में जाँच करना आवश्यक समझता हो; या **(ख)** यह राय रखता हो कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर उस जाँच से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; तो वह उस व्यक्ति को जाँच में सुने जाने का तथा अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगाः परन्तु यह कि इस धारा की कोई बात, जहॉ किसी साक्षी की साख पर आक्षेप लगाया गया है, लागू नहीं होगी।

शिकायतों की जॉच– आयोग अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करते समय– **(1)** भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से सूचना या प्रतिवेदन ऐसे समय के भीतर मंगवायेगा जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा। परन्तु यह कि– **(क)** यदि वह सूचना या प्रतिवेदन आयोग द्वारा निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो वह स्वयं शिकायत की जांच करने के लिए कार्यवाई करेगाः **(ख)** यदि सूचना या प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर, आयोग का इससे समाधान हो जाता है कि या तो आगे और जांच करना अपेक्षित नहीं है या सम्बन्धित सरकार या प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है या कर ली गई है, तो वह शिकायत पर कार्यवाई नहीं करेगा तथा तदनुसार शिकायतकर्ता को सूचना देगा; **(2) खण्ड 1** में अन्तर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक समझे तो जांच प्रारम्भ कर सकेगा।

जांच के बाद कदम्– आयोग इस अधिनियम के अधीन आयोजित जांच के पूरा होने पर निम्नलिखित में से कोई कदम उठा सकता है अर्थात– **(1)** जहॉ जॉच मानव अधिकारों का उल्लंघन करने को या किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के निवारण में उपेक्षा को प्रकट करती है। तो वह सरकार या प्राधिकारी को अभियोजन की कार्यवाई या ऐसी अन्य कार्रवाई प्रारम्भ करने की सिफारिस करेगा जिसे आयोग सम्बन्धित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध उचित समझेगा; **(2)** उच्चतम न्यायालय या सम्बन्धित उच्च न्यायालय में ऐसे निर्देश, आदेश या रिटों के लिए जाएगा जो वह न्यायालय आवश्यक समझेगा **(3)** पीड़ित या उसके परिवार के सदस्य को ऐसी तुरन्त राहत, जिसे आयोग आवश्यक समझेगा, प्रदान करने की सम्बन्धित सरकार या प्राधिकारी को सिफारिस करेगा; **(4) खण्ड 5** के उपबन्धों के अध्यधीन जांच प्रतिवेदन की एक प्रति याची, पिटीशनर या उसके प्रतिनिधि को देगा; **(5)** आयोग अपने जांच प्रतिवेदन की एक प्रति अपनी सिफारिशों के साथ सम्बन्धित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा तथा सम्बन्धित सरकार या प्राधिकारी, एक माह की अवधि या ऐसे और समय के भीतर जिसे आयोग स्वीकृत करेगा, उस पर की गई या की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाई के साथ आयोग को अग्रेषित करेगा,
(6) आयोग अपने जांच प्रतिवेदन को सम्बन्धित सरकार या प्राधिकारी के अभिमतों, यदि कोई हो, तथा आयोग की सिफारिशों पर सम्बन्धित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तवित कार्यवाई को प्रकाशित करायेगा।

सशस्त्र बलों के सम्बन्ध में प्रक्रिया–(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सशस्त्र बल के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों को निपटाते समय, आयोग निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायेगा, अर्थातः **(क)** वह या तो स्वप्रेरणा से या प्रार्थना, पिटीशन के प्राप्त होने पर,, भारत सराकार से एक प्रतिवेदन मंगवायेगा; **(ख)** प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद, वह या तो शिकायत पर कार्यवाई नहीं करेगा, या यथास्थिति उस सरकार को अपनी सिफारिशें करेगा **(2)** भारत सरकार उन शिफारिशों पर की गई कार्यवाई सूचना आयोग को तीन माह या ऐसे और समय के भीतर देगा जो आयोग स्वीकृत करेगा **(3)** आयोग अपने प्रतिवेदन को भारत सरकार को की गई अपनी सिफारिशें एवं उन सिफारिशों पर उस सरकार द्वारा की गई कार्यवाई के साथ प्रकाशित करेगा **(4)** आयोग याची या उसके प्रतिनिधि को **उपधारा 3** के अधीन प्रकाशित प्रतिवेदन की एक प्रति देगा।

आयोग के वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन– **(1)** आयोग भारत सरकार एवं सम्बन्धित राज्य सरकार को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा तथा किसी भी समय किसी भी ऐसे मामले पर जो उसकी राय में इतनी आवश्यकता एवं महत्व का है कि वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने तक उसे आस्थागित नहीं रखा जाना चाहिए, विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुंत करेगा। **(2)** भारत सरकार या राज्य सरकार, यथास्थिति, आयोग के वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदनों को, आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाई के ज्ञापन एवं उन सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने के कारणों, यदि कोई हो, के साथ संसद के प्रत्येक सदन या राज्य विधानसभा के समक्ष, यथास्थिति, प्रस्तुत करायेगी।

राज्य मानव अधिकार आयोग

आयोग में निम्न होंगे– **(क)** अध्यक्ष, जो उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश रहा है **(ख)** एक सदस्य, जो उच्च न्यायालय का सदस्य है, या सदस्य रहा है; **(ग)** एक सदस्य जो उस राज्य में एक जिला न्यायाधीश है या रहा है; **(घ)** दो सदस्य जिनकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जायेगी जिन्हें मानव अधिकारों से सम्बन्धित मामलों का ज्ञान हो या उसमें व्यावहारिक अनुभव हो।

एक सचिव होगा जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी होगा तथा राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा जो उसे प्रत्यायोजित किये जायेंगे। राज्य आयोग का मुख्य कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करेगी। राज्य आयोग संविधान की **सातवीं अनुसूची** में **सूची–2** एवं **सूची–3** में उल्लिखित प्रविष्टियों में किसी से सम्बन्धित मामलों के बारे में ही मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करेगा। परन्तु यह कि यदि ऐसे किसी मामले पर पहले से ही आयोग या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विधिवत गठित किसी अन्य आयोग द्वारा जॉच की जा रही हो, तो राज्य आयोग उक्त मामले में जॉच नहीं करेगा। परन्तु यह और कि जम्मू एवं कश्मीर मानव अधिकार आयोग के सम्बन्ध में, यह उपधारा इस प्रकार प्रभाव रखेगी जैसी कि मानों शब्दों एवं अंको से संविधान की सातवीं अनुसूची में **सूची–2** एवं **सूची–3** को शब्द एवं अंक ''संविधान की सातवीं अनुसूची में **सूची–3** जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य तथा उन मामलों के सम्बन्ध में प्रयोज्य है, जिनके सम्बन्ध में उस राज्य के विधानमण्डल को नियम बनाने की शक्ति है'', द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति– अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रासहित अधिपत्र द्वारा की जायेगी;–

(क) मुख्यमन्त्री	अध्यक्ष
(ख) विधानसभा का अध्यक्ष	सदस्य,
(ग) उस राज्य में गृह मन्त्रालय का प्रभारी मन्त्री	सदस्य,
(घ) विधानसभा में विपक्ष का नेता	सदस्य,

परन्तु यह और कि जहॉ किसी राज्य में विधान परिषद है, वहां उस परिषद, का सभापति एवं परिषद में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होंगे। परन्तु यह भी उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या आसीन जिला न्यायाधीश के परामर्श के बाद के सिवाय नहीं की जायेगी। राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कोई नियुक्ति समिति में पात्र किसी रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

राज्य आयोग के सदस्य का हटाया जाना– **(1) उपधारा 2** के उपबंधों के अध्यक्ष या किसी सदस्य का उसके पद से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय को उपदेश दिये जाने पर, उच्चतम न्यायालय के द्वारा उस सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह रिपोर्ट देने के बाद कि अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्य, यथास्थिति किसी ऐसे सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जाना चाहिए **(2) उपधारा 1** में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा देगा, यदि अध्यक्ष या अन्य सदस्य, यथास्थिति– **(क)** दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है; या **(ख)** अपने कार्यालय पदावधि में कार्यालय कर्तव्यों के बाहर किसी वैतनिक रोजगार में लगता है; या

(ग) मस्तिष्क या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने कि लिए अयोग्य है; या **(घ)** विकृत चित्त का है एवं सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया गया है; या **(ड)** किसी अपराध के लिए जो राष्ट्रपति की राय में नैतिक पतन वाला है, सिद्ध दोष हो गया है एवं उसे कारागार की सजा दे दी गई है।

राज्य आयोग के सदस्यों की पदावधि– अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति उस दिनांक से जिसको वह अपने पद पर प्रवेश करेगा, पॉच वर्ष की अवधि के लिए पद को धारित करेगा तथा पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु का नहीं होगा, इनमें जो भी पूर्व में हो, पद को धारित करेगा। सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति उस दिनांक से जिसको वह अपने पद पर प्रवेश करेगा, पॉच वर्ष की अवधि के लिए, पद को धारित करेगा तथा पॉच वर्षों की दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगाः परन्तु यह कि कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद को धारण नहीं करेगा। पद पर नहीं रहने पर, अध्यक्ष या सदस्य राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन आगे और नियुक्त के लिए अपात्र होगा।

कुछ परिस्थितियों में सदस्य द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कार्यों का निर्वहन करना– अध्यक्ष की मृत्यु होने पर, त्याग पत्र देने के कारण या अन्यथा प्रकार से उसका पद रिक्त होने की दशा में, राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए, उस रिक्ति को भरने के लिए नये अध्यक्ष की नियुक्ति किये जाने तक के लिए, प्राधिकृत कर सकेगा। जब अध्यक्ष अवकाश पर अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, उन सदस्यों में से ऐसा एक जिसे राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, इस सम्बन्ध में प्राधिकृत करे, अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन उस दिनॉक तक करेगा जिसको कि अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को पुनर्ग्रहण करेगा।

राज्य आयोग के सदस्यों की शर्तें– सदस्यों को संदेय वेतन एवं भत्ते, एवं उनकी सेवा की अन्य शर्तें व निबन्धन, वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी; परन्तु यह कि किसी सदस्य के न तो वेतन एवं भत्ते, और न उनकी सेवा की शर्तें एवं निबन्धन, उनकी नियुक्ति के बाद उनके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तित नहीं की जायेगी।

राज्य आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी–(1) राज्य सरकार आयोग के लिए निम्न को उपलब्ध करायेगी– **(क)** एक अधिकारी जो राज्य सरकार के सचिव रेंक से नीचे का नहीं होगा, जो राज्य आयोग का सचिव होगा; एवं **(ख)** एक ऐसे अधिकारी के अधीन जो महानिरीक्षक, पुलिस के रेंक से नीचे का नहीं होगा, ऐसी पुलिस एवं अन्वेषणकर्ता कर्मचारी एवं ऐसे अन्य अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी जो राज्य आयोग के कार्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन के लिए आवश्यक होंगे **(2)** ऐसे नियमों के अध्यधीन, जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बनाए जायेंगे, राज्य आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक स्टॉफ नियुक्त करेगा जिसे वह आवश्यक समझेगा **(3) उपधारा 3** के अधीन नियुक्त अधिकारियों के वेतन भत्ते एवं उनकी सेवा की शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी।

राज्य आयोग के वार्शिक एवं विशेष प्रतिवेदन– राज्य आयोग राज्य सरकार को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा तथा किसी भी समय किसी भी मामले पर, जो उसकी राय में, इतनी आवश्यकता एवं महत्व का है कि वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने तक उसे आस्थगित नहीं रखा जाना चाहिए, विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार, राज्य आयोग के वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदनों को आयोग की सिफारिश पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाई के ज्ञापन एवं उन सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने के कारणों, यदि कोई हो, के साथ राज्य विधान मण्डल के जहां इसके दो सदन हों, प्रत्येक सदन या जहां विधान मण्डल में केवल एक सदन हो, उस सदन के समक्ष प्रस्तुत करायेगी।

राष्ट्रीय आयोग से सम्बन्धित कुछ उपबन्धों का राज्य आयोगों पर प्रयोज्य होना– धाराएं 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, एवं **18** के उपबन्ध राज्य आयोग पर लागू होंगे तथा निम्नलिखित उपान्तरणों के अध्यधीन होंगे अर्थात्– **(क)** ''आयोग'' के सन्दर्भ का अर्थ ''राज्य आयोग'' के सन्दर्भ में किया जायेगा; **(ख) धारा 10** की **उपधारा 3** में शब्द ''महासचिव'' के स्थान पर शब्द ''सचिव'' प्रतिस्थापित किया जायेगा; **(ग) धारा 12** में, खण्ड (च) को विलोपित किया जायेगा, **(घ)– धारा 17** के खण्ड में, शब्द ''भारत सरकार'' या कोई विलोपित किये जायेंगे।

मानव अधिकार न्यायालय

मानव अधिकार न्यायालय– मानव अधिकारों के उल्लंघन से उत्पन्न अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबन्ध करने के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिये उक्त अपराधों पर विचारण करने के लिए एक सत्र न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय होने के रूप में विनिर्दिष्ट करेगीः परन्तु यह कि इस धारा में की कोई बात लागू नहीं होगी यदि– **(क)** सत्र न्यायालय को पहले ही विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है; या
(ख) वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए विशेष न्यायालय पहले ही गठित किया गया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक– प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उस न्यायालय में मामलों को संचालित करने प्रयोजनार्थ एक विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में किसी एक लोक अभियोजक को विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे एडवोकेट को नियुक्त करेगी जो एडवोकेट के रूप में कम से कम सात वर्षों से प्रेक्टिस में रहा है।

वित, लेखा एवं लेखा परीक्षा

भारत सरकार द्वारा अनुदान– भारत सरकार, इस सम्बन्ध में कानून के अनुसार इस सम्बन्ध में संसद द्वारा विनियोजित करने के बाद, अनुदान के रूप में आयोग को ऐसी धनराशि का संदाय करेगी जिसे भारत सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने हेतु उपयुक्त समझेगी। आयोग इस अधिनियम के अधीन कार्यों को निष्पादित करने के लिए ऐसी राशि व्यय करेगी जो वह उचित समझे, तथा ऐसी राशि को उपधारा 1 में निर्दिष्ट अनुदानों में से व्यय के रूप में समझा जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान– राज्य सरकार, इस सम्बन्ध में कानून के अनुसार इस सम्बन्ध में विधानमण्डल द्वारा विनियोजन करने के बाद, अनुदान के रूप में राज्य आयोग को ऐसी धनराशि का संदाय करेगा जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपयोग किए जाने हेतु उपयुक्त समझेगी। राज्य आयोग **अध्याय 5** के अधीन कार्यों के निष्पादन के लिए ऐसी राशि तय करेगी जो वह उचित समझे, तथा ऐसी राशि को **उपधारा 1** में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय के रूप में समझा जायेगा।

लेखे एवं लेखा परीक्षा– आयोग उचित लेखे एवं सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखों का वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में तैयार करेगा जो भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा विहित किया जायेगा। आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर कराई जायेगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायेंगे एवं ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में किया गया कोई भी व्यय आयोग द्वारा नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक को संदेय होगा। नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार एवं प्राधिकार रखेगा जो नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक सामान्यतया सरकारी लेखों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में रखता है, एवं विशेष रूप से, उसे आयोग की पुस्तकों, लेखों, सम्बन्धित वाउचरों एवं अन्य दस्तावेजों एवं कागजों को मांगने का, तथा आयोग के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित, आयोग के लेखों को, उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ, आयोग द्वारा हर वर्ष भारत सरकार को अग्रेसित किया जायेगा तथा भारत सरकार इसे प्राप्त करने के बाद यथा शक्य शीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के सामने प्रस्तुत करवायेगी।

राज्य आयोग के लेखे एवं लेखा परीक्षा– राज्य आयोग उचित लेखे एवं सुसंगत अभिलेख तैयार करेगा तथा लेखों का वार्षिक विवरण ऐंसे प्रपत्र में तैयार करेगा जो भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विहित किया जायेगा। राज्य आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर कराई जायेगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायेंगे एवं ऐसी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में किया गया कोई भी व्यय राज्य आयोग द्वारा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक को संदेय होगा। नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं इस अधिनियम के अधीन राज्य आयोग क लेखों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में हीं अधिकार, विशेषाधिकार एवं प्राधिकार रखेगा जो नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक सामान्यतया सरकारी लेखों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में रखता है, एवं विशेष रूप से , उसे आयोग की पुस्तकों, लेखों, सम्बन्धित वाउचरों एवं अन्य दस्तावेजों एवं कागजातों को मांगने का, तथा राज्य आयोग के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित राज्य आयोग के लेखों को, उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ राज्य आयोग द्वारा हर वर्ष

राज्य सरकार का अग्रेषित किया जायेगा तथा राज्य सरकार इसे प्राप्त करने के बाद ,यथासम्भव शोध राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करायेगी।

विविध

मामले जो आयोग की अधिकारिता में नहीं आते– आयोग ऐसे किसी मामले में जॉच नहीं करेगा जो राज्य आयोग या वर्तमान में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अन्य आयोग के समक्ष लम्बित है। आयोग या राज्य आयोग उस तारीख से जिसको कि मानव अधिकारों के उल्लंघन करने वाला कृत्य किये जाने का आरोप किया गया है। एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के किसी मामले में जॉच नहीं करेगा।

विशेष अन्वेशण दल का गठन– वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहॉ सरकार ऐसा करने का विचार करती हो, मानव अधिकारों के उल्लंघन के उत्पन्न अपराधों एवं अन्वेषण एवं अभियोजन के लिए आवश्यक एक या अधिक विशेष अन्वेषण दलों, जिनमें पुलिस अधिकारी होंगे, का गठन करेगा।

सद्भाव में की गई कार्यवाई का अभियोजन– भारत सरकार राज्य सरकार, आयोग या उसके किसी व्यक्ति या भारत सरकार आयोग या राज्य आयोग में से किसी के निर्देश के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसी चीज के सम्बन्ध में सद्भाव में की गई है या इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित किन्हीं नियमों या किन्हीं आदेशों में किये जाने के लिए आशयित हैं या भारत सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के प्राधिकारी द्वारा या के अधीन किसी प्रतिवेदन, पेपर या कार्यवाई के प्रकाशन के सम्बन्ध में, कोई वाद या अन्य कानूनी कार्यवाई नहीं की जायेगी।

सदस्य एवं अधिकारी लोक सेवक होंगे– आयोग, राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी को भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 21** के अर्थान्तर्गत लोक सेंवक समझा जायेगा।

भारत सरकार की नियम बनाने की शक्ति– **(1)** भारत सरकार, इस अधिनियम के उपबंधो को निष्पादित कराने के लिए, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है **(2)** विशेष रूप से तथा पूर्वोक्त शक्ति की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात;– **(क) धारा 8** के अधीन सदस्यों के वेतन एवं भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तेः **(ख)** शर्ते जिनके अध्यधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक स्टॉफ की नियुक्ति आयोग द्वारा की जायेगी तथा **धारा 11** की **उपधारा 3** के अधीन अधिकारियों एवं अन्य स्टॉफ के वेतन एवं भत्ते; **(ग) धारा 13** की **उपधारा 1** के खण्ड (च) के अधीन विहित किये जाने हेतु अपेक्षित सिविल न्यायालय की कोई अन्य शक्ति; **(घ)** प्रपत्र जिसमें **धारा 34** की **उपधारा 1** के अधीन आयोग द्वारा लेखों को वार्षिक विवरण तैयार किया जाना है; एवं **(ड़)** कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जायेगा **(3)** इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाये जाने के बाद यथा शक्य शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह तीन दिन की कुल अवधि के लिए सत्र में हो जो एक सत्र या दो या दो से अधिक क्रमिक सत्रों को मिलाकर हो सकती है, प्रस्तुत रखा जायेगा एवं यदि उस सत्र या क्रमिक सत्रों के ठीक बाद वाले सत्र की समाप्ति से पूर्व दोनों सदन नियमों में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन यह स्वीकार करते हैं कि नियम नहीं बनायें जाने चाहिए, तो वह नियम उसके बाद उस उपान्तरित रूप में ही प्रभाव रखेगा या यथास्थिति निष्प्रभावी होगा; किन्तु तथापि यह कि ऐसा कोई भी उपान्तरण या निराकरण से उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी चीज की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

क. पूर्ववर्ती प्रभाव से नियम बनाने की शक्तियॉ– **धारा 40** की **उपधारा 2** के **खण्ड ख** के अधीन नियम बनाने की शक्तियों में पूर्ववर्ती प्रभाव से, जो इस अधिनियम को राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त होने की तिथि से पूर्व प्रभाव वाले नहीं होंगे, नियम बनाने की शक्ति के, जिस पर यह नियम होते हैं, हितों को पूर्ववर्ती प्रभाव से प्रतिकूलतया प्रभावित नहीं करेंगे।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति– **(1)** राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को निष्पादित कराने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है **(2)** विशेष रूप से तथा पूर्वोक्त शक्ति की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात– **(क) धारा 26** के अधीन सदस्यों के वेतन एवं भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्ते; **(ख)** शर्तें जिनके अध्यधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक स्टॉफ की नियुक्ति राज्य आयोग द्वारा की जायेगी तथा धारा 27 की उपधारा 3 के अधीन अधिकारियों एवं अन्य स्टॉफ के वेतन एवं भत्तें; **(ग)** प्रपत्र जिसमें **धारा 35** की **उपधारा 1** के अधीन लेखों का वार्षिक विवरण तैयार किया जाना है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. चम्याल, डी० एस०, & मनराल, बी० (2017)। *उपभोक्ता, उपभोक्ता अधिकार एवं उपभोक्ता संरक्षण का एक अध्ययन*। गोल्डन रिसर्च थॉट्स, इन्टरनेशनल रिकॉगनिएशन मल्टीडिसीप्लीनरी रिसर्च जरनल। वॉल्यूम–6, इस्यू–10, अप्रैल–2017। पृ० 39–44
2. बागिया, आर० के० (2005), *अपकृत्य विधि और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति,* इलाहाबाद ला एजेन्सी : इलाहाबाद। पृ० 313
3. मिश्रा, ए० के०, & अग्रवाल, ए० (2012)। *मुमुक्षु जरनल ऑफ ह्युमनिटीज,* वॉल्यूम–4, इस्यू–1, पृ०–207–208
4. शर्मा, एस० सी० (1981), *आर्थिक विचारों का इतिहास,* गोयल पब्लिकेशन्स : मेरठ। पृ० 443, 561, 446

5. सिंह, जे० पी० & एट०, अल० (2006), *सामाजिक विज्ञान भाग 2, कक्षा–10,* मथुराः मैसर्स ऑस्टर प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा०लि०। पृ० 92
6. त्रैमासिक पत्रिका (दिसम्बर 2000), *ज्ञान गरिमा सिंधु,* वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोगः नई दिल्ली, अक्टूबर, अंक–4। पृ० 2
7. विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड (2013), *आर्थिक विकास की समझ,* राज इण्टर प्राइजेजः हल्द्वानी। पृ० 78
8. विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड (2013), *आर्थिक विकास की समझ,* राज इण्टर प्राइजेज : हल्द्वानी, पृ० 75–87
9. विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड (2013), *अर्थशास्त्र में सॉख्यिकी,* उत्तरॉचल पेपर कनवर्टरएण्ड पब्लिशर्स : देहरादून। पृ० 1–3
10. विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड (2015), *क्षितिज,* दीपक प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स : हल्द्वानी। पृ० 34, 38
11. कानून प्रकाशक लेखक गाइड (2015), *मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम,* कानून प्रकाशकः जोधपुर। पृ०–3–28

वेबसाइटः

www.mca.gov.in
www.cuts-international.org
www.google.com
www.sodhganga.inflibnit.ac.in